भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंध और हिन्द- प्रशांत क्षेत्र

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्नपत्र : अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय प्रश्नपत्र :** अंतर्राष्ट्रीय संबंध

संदर्भ

- ऑस्ट्रेलिया के उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री रिचर्ड मार्लेस ने भारत की यात्रा से पहले उल्लिखित किया कि भारत, ऑस्ट्रेलिया के सबसे करीबी सुरक्षा साझेदारों में से एक है और यह भारत-प्रशांत क्षेत्र में भागीदारों के साथ ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक रूप से गहरे जुड़ाव को पुनर्जीवित करने पर केंद्रित है।
- विदित है कि यह दौरा 20 से 23 जून तक निर्धारित है।

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

- मई में प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के नेतृत्व में नई सरकार के गठन के बाद यह ऑस्ट्रेलिया की पहली उच्च-स्तरीय यात्रा है।
- भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग में गत कुछ वर्षों में द्विपक्षीय और बहुपक्षीय दोनों स्तरों पर काफी विस्तार हुआ है।
- नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, जिसने दशकों से हिंद-प्रशांत में शांति और समृद्धि लाई है, दबाव का सामना कर रहा है, क्योंकि यह क्षेत्र भू-रणनीतिक व्यवस्था में बदलाव का सामना कर रहे हैं।
- ऑस्ट्रेलिया एक खुले, समावेशी और लचीले इंडो-पैसिफिक के समर्थन में भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार है।
- भारत और ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदार हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग को मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया रक्षा सहयोग

- भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच उभरते सहयोग को व्यापक रूप से चीन की चुनौती की प्रतिक्रिया के रूप में समझा जाता है, जिसे क्वाड जैसे बहुपक्षीय समूहों द्वारा सुगम बनाया गया है।
- यद्यपि हाल ही में 2 अप्रैल को ऑस्ट्रेलिया-भारत आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौते (ईसीटीए) पर हस्ताक्षर से पता चलता है कि द्विपक्षीय संबंध कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं।
- 21 मार्च को आयोजित द्विपक्षीय आभासी शिखर सम्मेलन और उसके बाद का समझौता भारत-ऑस्ट्रेलिया संबंधों में एक नए चरण का प्रतीक है, विशेष रूप से व्यापक सुरक्षा और रक्षा संदर्भ में।

सूचना संलयन केन्द्र- हिंद महासागर क्षेत्र (आईएफसी-आईओआर)

- यह हिंद महासागर क्षेत्र में जहाजों से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान के माध्यम से समुद्री सुरक्षा और प्रतिक्रिया को बढ़ावा देने के लिए एक भारतीय पहल है।
- इसका उद्देश्य सहयोगी देशों और बहुराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ नौवहन जागरुकता और सूचना साझा करने के लिये परस्पर सहयोग करना है। यह वाणिज्यिक मालवाहक जहाजों के बारे में सूचनाओं को साझा करने में महत्वपूर्ण है, इससे हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

सामरिक वार्ता

- जून 2020 में, ऑस्ट्रेलिया और भारत ने सचिव स्तर के 2+2 संवाद (रक्षा और विदेश मामलों) को मंत्री स्तर पर अपग्रेड करने का निर्णय लिया।
- साथ ही, व्यापक रणनीतिक साझेदारी में शामिल होने के लिए दोनों देशों के मंत्री कम से कम हर दो वर्ष में मिलने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।
- दोनों पक्षों ने एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी स्थापित की है।

मालाबार अभ्यास

- भारत की नौसेना अमेरिकी नौसेना (यूएसएन), जापान के समुद्री आत्मरक्षा बल (जेएमएसडीएफ) और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना (आरएएन) के साथ 26 से 29 अगस्त 2021 तक मालाबार अभ्यास 2021 के समुद्री चरण में भाग लिया।
- विदित है कि समुद्री नौसैन्य अभ्यास की मालाबार श्रृंखला वर्ष 1992 में आईएन-यूएसएन अभ्यास के रूप में शुरू हुई थी। वर्ष 2020 के अभ्यास संस्करण में रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना ने भी इसमें हिस्सा लिया।

AUSINDEX

- यह भारतीय नौसेना और रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नौसेना के मध्य 06 सितंबर, 2021 से 10 सितंबर, 2021 तक आयोजित किया गया।
- भारतीय नौसेना कार्य समूह में आईएनएस शिवालिक और आईएनएस कदमत शामिल हुए।

पिच ब्लैक

- भारतीय वायु सेना ने पहली बार 2018 में डार्विन में अभ्यास पिच ब्लैक में भाग लिया।
- ऑस्ट्रेलिया के बहुपक्षीय अभ्यास में कई ऑस्ट्रेलियाई सहयोगियों और साझेदार देशों की वायु सेनाएं शामिल हैं।

क्वाड-चतुर्भुज सुरक्षा संवाद (QUAD-Quadrilateral Security Dialogue)

- क्वाड भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के मध्य गठित एक अनौपचारिक रणनीतिक वार्ता मंच है। इसका उद्देश्य हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और समन्वय की स्थापना करना है।
- क्वाड शब्द 'क्वाड्रीलेटरल (चतुर्भुज) सुरक्षा वार्ता' के क्वाड्रीलेटरल से लिया गया है।
- ज्ञातव्य है कि क्वाड जैसे समूह की परिकल्पना सर्वप्रथम वर्ष 2004 की सुनामी के बाद भारत द्वारा अपने और अन्य प्रभावित पड़ोसी देशों के लिए बचाव और राहत पहुँचाने के प्रयास क्रम में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के शामिल होने की परिणति के रूप की गई।

हिंद महासागर क्षेत्र

- हिंद महासागर क्षेत्र विश्व व्यापार और कई देशों की आर्थिक समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है।
- विश्व के 75% से अधिक समुद्री व्यापार और 50% वैश्विक तेल खपत आईओआर से होकर गुजरता है।
- अमेरिका के साथ प्रगाढ़ होते संबंधों को भारत की रणनीतिक स्थिति को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में देखा जाता है।
- हिंद-प्रशांत को एक रणनीतिक स्थान के रूप में मानने का विचार हिंद महासागर क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का परिणाम है।
- यह भारतीय और प्रशांत महासागरों की परस्पर संबद्धता, सुरक्षा और वाणिज्य के लिए महासागरों के महत्व को दर्शाता है।

स्रोत: द हिन्दू

दहेज उत्पीड़न की धारा 498 ए का दुरुपयोग और इलाहाबाद उच्च न्यायालय का निर्णय

यूपीएससी परीक्षा के किस पाठ्यक्रम से संबंधित	
प्रारम्भिक परीक्षा	**मुख्य परीक्षा**
प्रथम प्रश्नपत्र : राष्ट्रीय महत्व की सामयिक घटनाएँ	**द्वितीय प्रश्नपत्र :** आईपीसी की धारा 498ए, न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय

संदर्भ

- हाल ही में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने दहेज उत्पीड़न की धारा 498 ए के दुरुपयोग के दृष्टिगत महत्वपूर्ण आदेश दिया है।
- न्यायालय ने दहेज मामले से संबंधित दो आपराधिक संशोधनों की अनुमति देते हुए, भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498 ए के दुरुपयोग का संज्ञान लेते हुए कुछ सुरक्षा उपायों का प्रस्ताव दिया और उत्तर प्रदेश के राज्य अधिकारियों को एक निश्चित समय अवधि में आवश्यक कदम उठाने का निर्देश दिया।

विषयगत महत्वपूर्ण बिन्दु

उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देश

- जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) के तहत प्रत्येक जिले में एक परिवार कल्याण समिति का गठन किया जाना चाहिए और ऐसी समिति को प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकरण के तुरंत बाद सौंपना चाहिए।
- दो महीने की "कूलिंग पीरियड" के दौरान पुलिस द्वारा कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी।
- उच्च न्यायालय द्वारा निर्देशित परिवार कल्याण समितियों (जैसे कि एक युवा मध्यस्थ या एक वकील या एक वरिष्ठ कानून के छात्र को शामिल करना) की संरचना में मामूली अंतर को छोड़कर, ऐसी समितियों की प्राथमिक भूमिका वही रहती है, जो दोनों पक्षों के बीच वैवाहिक विवाद के निपटान के लिए होती है।
- प्रत्येक जिले में कम से कम एक या अधिक एफडब्ल्यूसी (जिला कानूनी सहायता सेवा प्राधिकरण के तहत गठित उस जिले के भौगोलिक आकार और जनसंख्या के आधार पर) में कम से कम तीन सदस्य होंगे। इसके गठन और कार्य की समीक्षा उस जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश/प्रधान

न्यायाधीश, परिवार न्यायालय द्वारा समय-समय पर की जाएगी, जो उस जिले के विधिक सेवा प्राधिकरण में चेयरपर्सन या को-चेयरपर्सन होंगे।

- विदित है कि उच्च न्यायालय के निर्देश आईपीसी की धारा 498 ए से जुड़े मामलों पर लागू होंगे, जिसमें कोई चोट नहीं होगी - धारा 307 (हत्या का प्रयास) और आईपीसी की अन्य धाराएं जिनमें कारावास 10 साल से कम है।
- दूसरे शब्दों में, यदि वैवाहिक लड़ाई के दौरान किसी महिला की हड्डी टूट जाती है या उसके पति द्वारा किसी आंख या कान या जोड़ में स्थायी चोट लग जाती है, तो पुलिस गिरफ्तारी को प्रभावी नहीं करेगी, क्योंकि ऐसे मामलों में निर्धारित अधिकतम कारावास गंभीर चोट के लिए सात वर्ष है।
- पुलिस केवल परिधीय जांच करेगी, जैसे कि चोट की रिपोर्ट एकत्र करना और गवाहों के बयान दर्ज करना, जिनकी कीमत आगे की कार्यवाही में अनिश्चित है।

मानव अधिकार बनाम भारत संघ (2018)

- उच्च न्यायालय ने विशेष रूप से मानव अधिकार बनाम भारत संघ (2018) के लिए सोशल एक्शन फोरम में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से मार्गदर्शन लेने के अपने फैसले में उल्लेख किया।
- सुप्रीम कोर्ट ने राजेश शर्मा और अन्य बनाम यू पी राज्य और अन्य ने पहली बार में धारा 498-ए आईपीसी के तहत आपराधिक शिकायतों को देखने के लिए जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा गठित परिवार कल्याण समिति को अधिकार प्रदान करने सहित कई निर्देश जारी किए।
- निर्देश दिया गया कि जब तक समिति की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए।
- ध्यातव्य है कि सोशल एक्शन फोरम फॉर मानव अधिकार 2018 (10) SCC 443 में, सुप्रीम कोर्ट की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस सवाल पर विचार किया कि क्या ऐसे निर्देश जारी किए जाने चाहिए थे।

लिव इन रिलेशनशिप पर न्यायालय का पक्ष

- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि दहेज उत्पीड़न की धारा 498 ए का दुरुपयोग वैवाहिक संस्था को प्रभावित कर रही है और लिव इन रिलेशनशिप परंपरागत विवाह का स्थान लेती जा रही है।
- इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने मुकेश बंसल की याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि लिव इन रिलेशनशिप सामाजिक सांस्कृतिक मान्यताओं परंपरागत विवाह का स्थान लेती जा रही है। यह जमीनी हकीकत है, जिसे स्वीकार करने की आवश्यकता है।

आईपीसी की धारा 498ए

- भारतीय संसद ने 1983 में भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 498ए पारित की।
- विदित है कि आईपीसी की धारा 498ए आपराधिक कानून है।
- इसका उद्देश्य एक महिला पर उसके पति और उसके ससुराल वालों द्वारा की गई क्रूरता को रोकने के लिए त्वरित राज्य हस्तक्षेप की सुविधा प्रदान करना था।
- यह परिभाषित किया गया है कि यदि किसी महिला के पति या पति के रिश्तेदार ने ऐसी महिला के साथ क्रूरता की है, तो उन्हें 3 साल तक की कैद की सजा हो सकती है और जुर्माना भी हो सकता है।
- भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए महिला के खिलाफ हिंसा (वीएडब्ल्यू) के लिए सबसे बड़े कानूनी बचाव में से एक है, जो एक घर की चार दीवारों के भीतर होने वाली घरेलू हिंसा की दयनीय वास्तविकता का प्रतिबिंब है।

निष्कर्ष

- घरेलू हिंसा और पति या पत्नी और परिवार के सदस्यों द्वारा दुर्व्यवहार एक जटिल व्यवहार हैं।
- न्यायालयों, कानूनी संस्कृतियों और सामाजिक संगठनों के संयुक्त प्रयास से घरेलू हिंसा के मामलों में कमी आई है, किन्तु अभी भी बहुत कुछ किया जाना शेष है।

स्रोत: द हिन्दू